Online Layout Permission Guideline

ऑनलाइन विकास अनुज्ञा के लिए गाइडलाइन

विकास अनुज्ञा के लिए आवेदन करने के लिए गाइडलाइन निम्नलिखित है |(Following are the steps to apply for land use certificate)

1. विकास अनुज्ञा के आवेदन के लिए संचालनालय के वेबसाइट www.mptownplan.nic.in पर जाए, एवं **E-SERVICES** पर क्लिक करें।

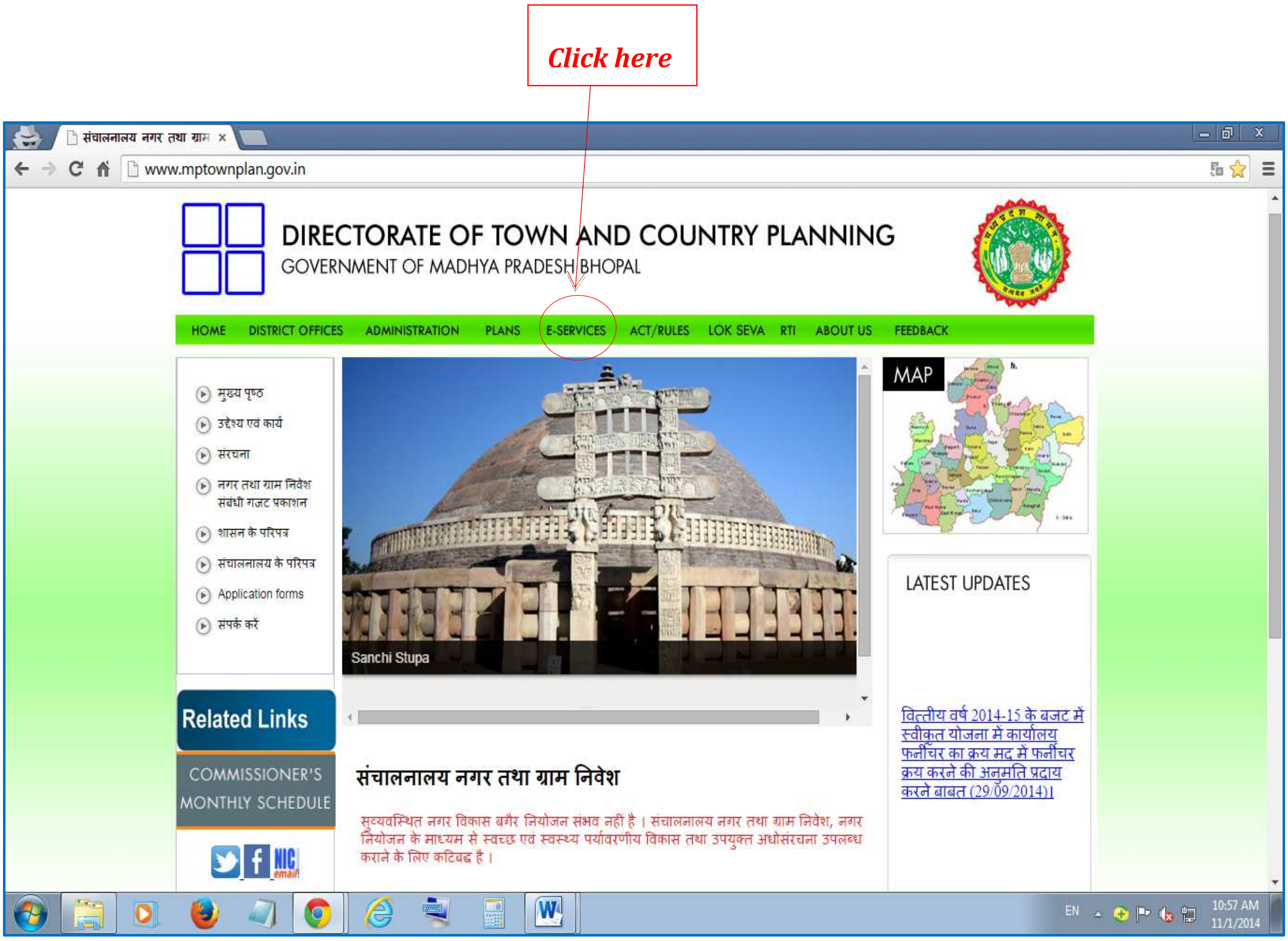

2. **E-SERVICES** पर क्लिक करते ही निम्न स्क्रीन आएगा। इसके बाद **emptownplan** पर क्लिक करे।

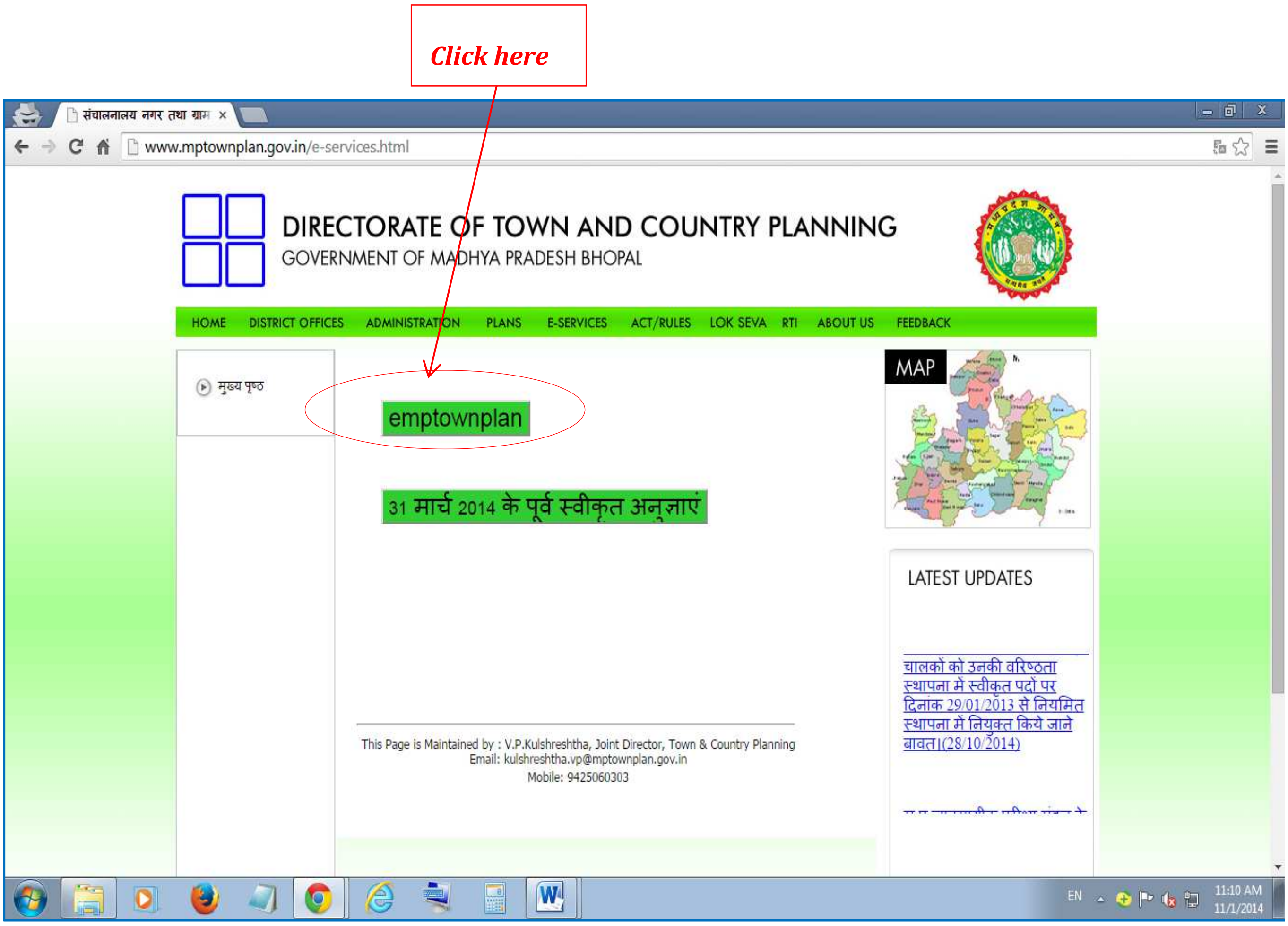

3. **E-Townplan** पर क्लिक करते ही निम्न स्क्रीन आएगा। विकास अनुज्ञा के आवेदन पत्र के लिए **Online Application** के **Layout Permission Application Form (Section 29/2 and Section 16)** या **Layout Permission Application Form (Section 29/3)** पर क्लिक करे।

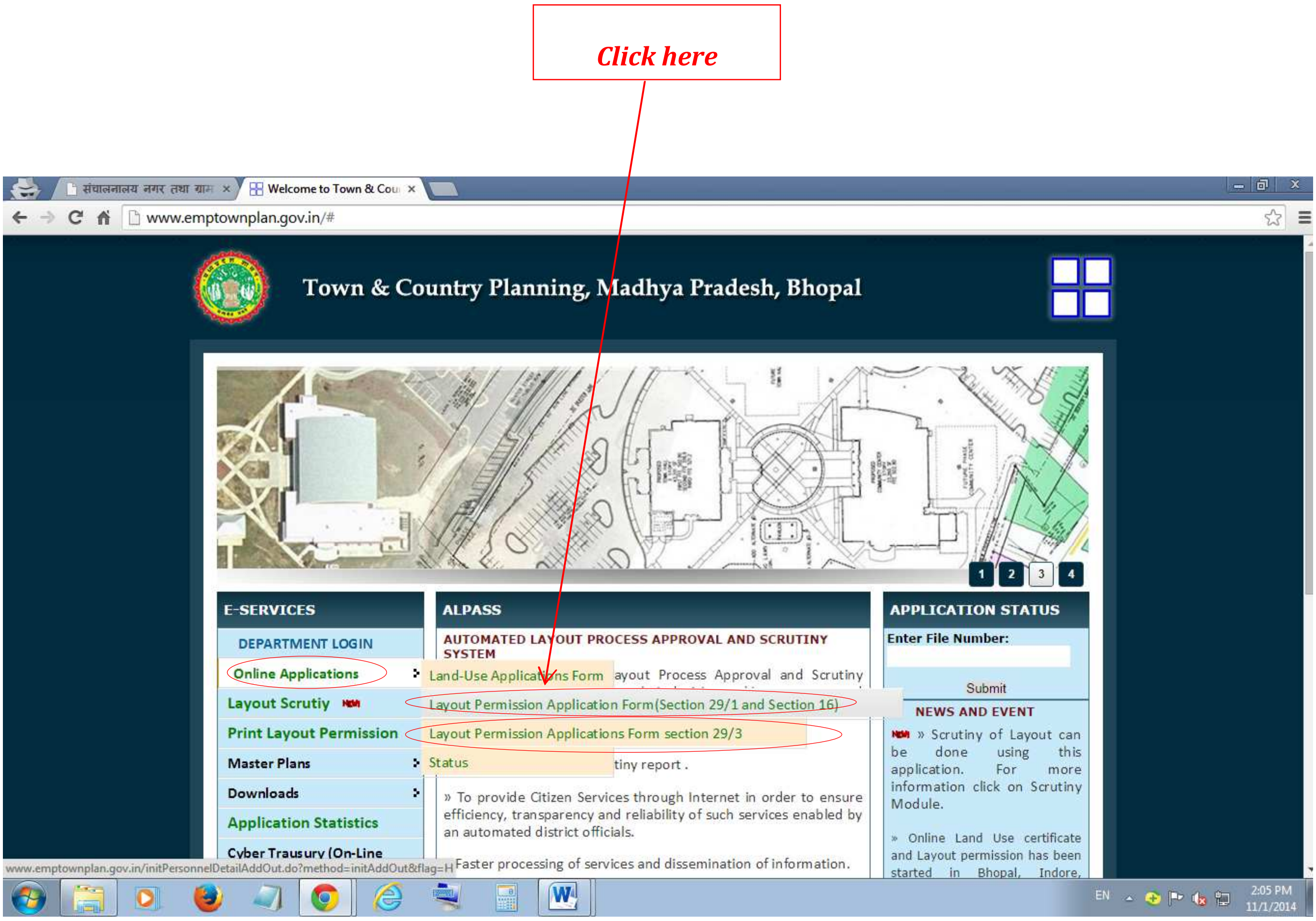

धारा 29/2 और धारा 16 के लिए - **Layout Permission Application Form (Section 29/2 and Section 16)** **पर** क्लिक करे।

या

धारा 29/3 के लिए - **Layout Permission Application Form (Section 29/3) पर** क्लिक करे।

4. **Layout Permission Application Form (Section 29/2 and Section 16) पर** क्लिक करते ही निम्न स्क्रीन आएगा।

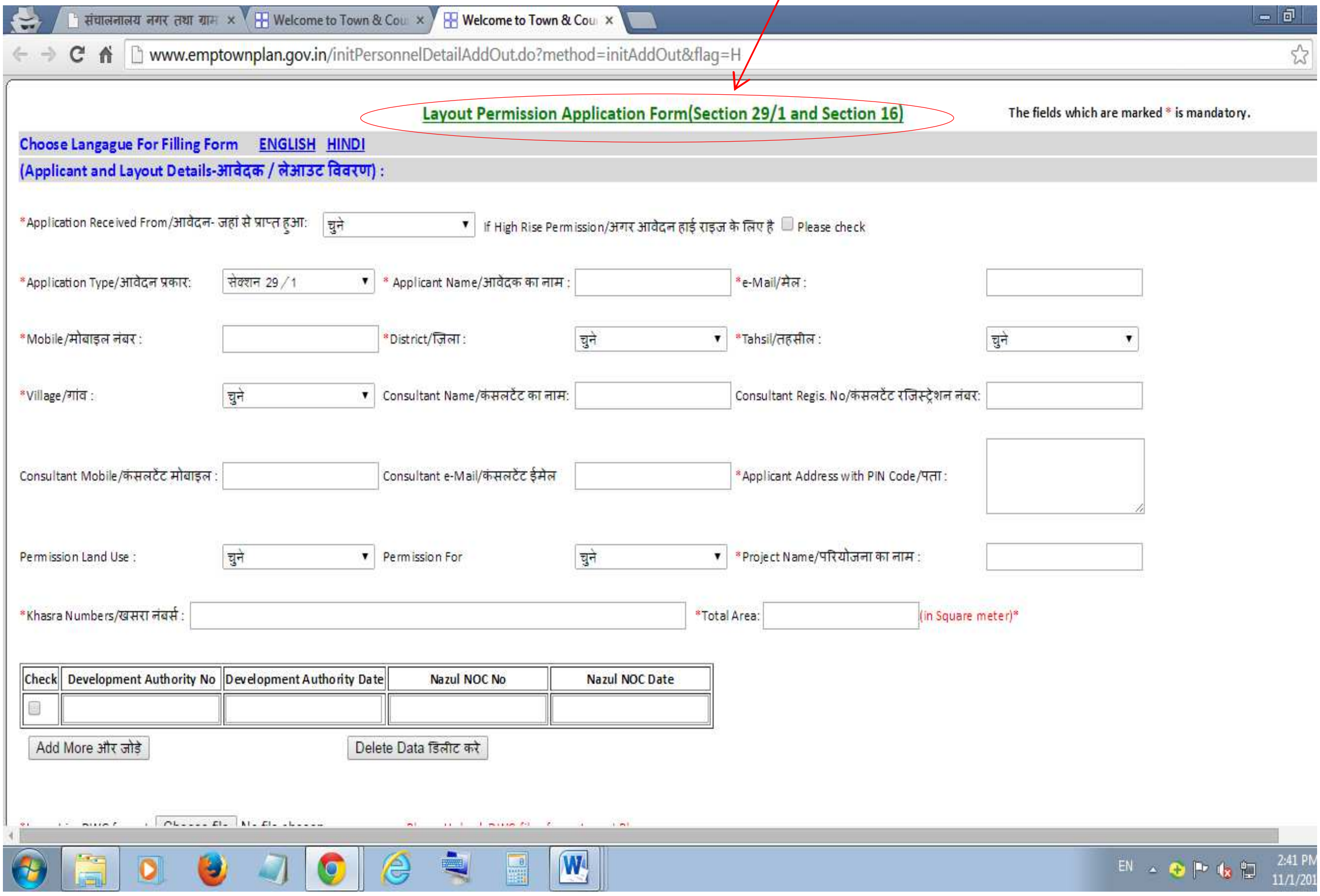

5. धारा 29/3 के लिए - **Layout Permission Application Form (Section 29/3) पर** क्लिक करते ही निम्न स्क्रीन आएगा।

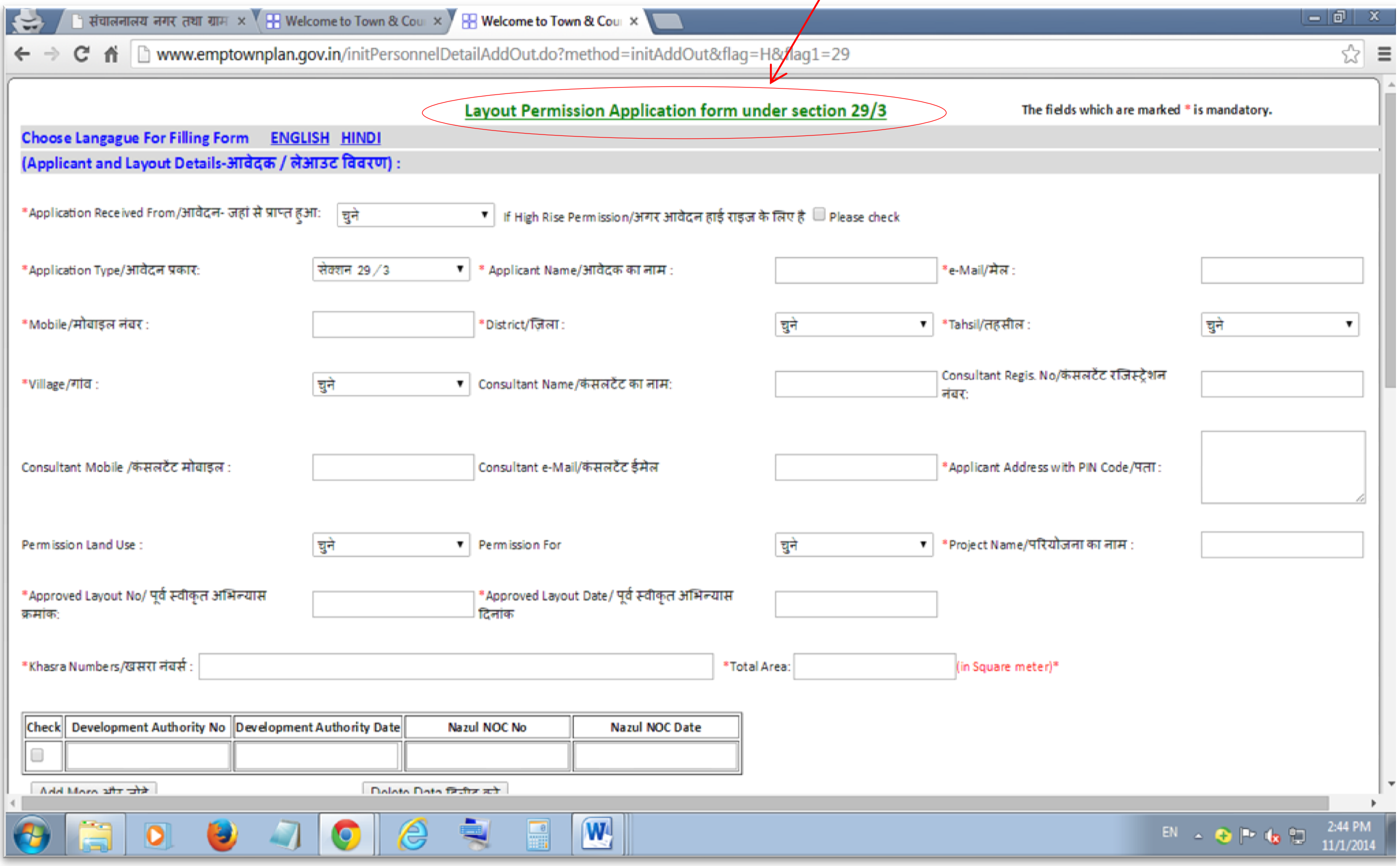

उपरोक्त स्क्रीन में सारे आवश्यक फ़ील्ड्स को भरें तथा मांगे गए **Documents** को **PDF** फॉर्मेट में अपलोड करें| ओरिजिनल **Documents** को डाक या कूरियर द्वारा सम्बंधित नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय में भेजे।

6. प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात **<u>Save</u>** बटन पर क्लिक करें |

7. **<u>Save</u>** बटन पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन सबमिट होने के बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर में **SMS** आ जायेगा , जिसमे आपके आवेदन का कंप्यूटर जनरेटेड **File No.** दिया होगा।

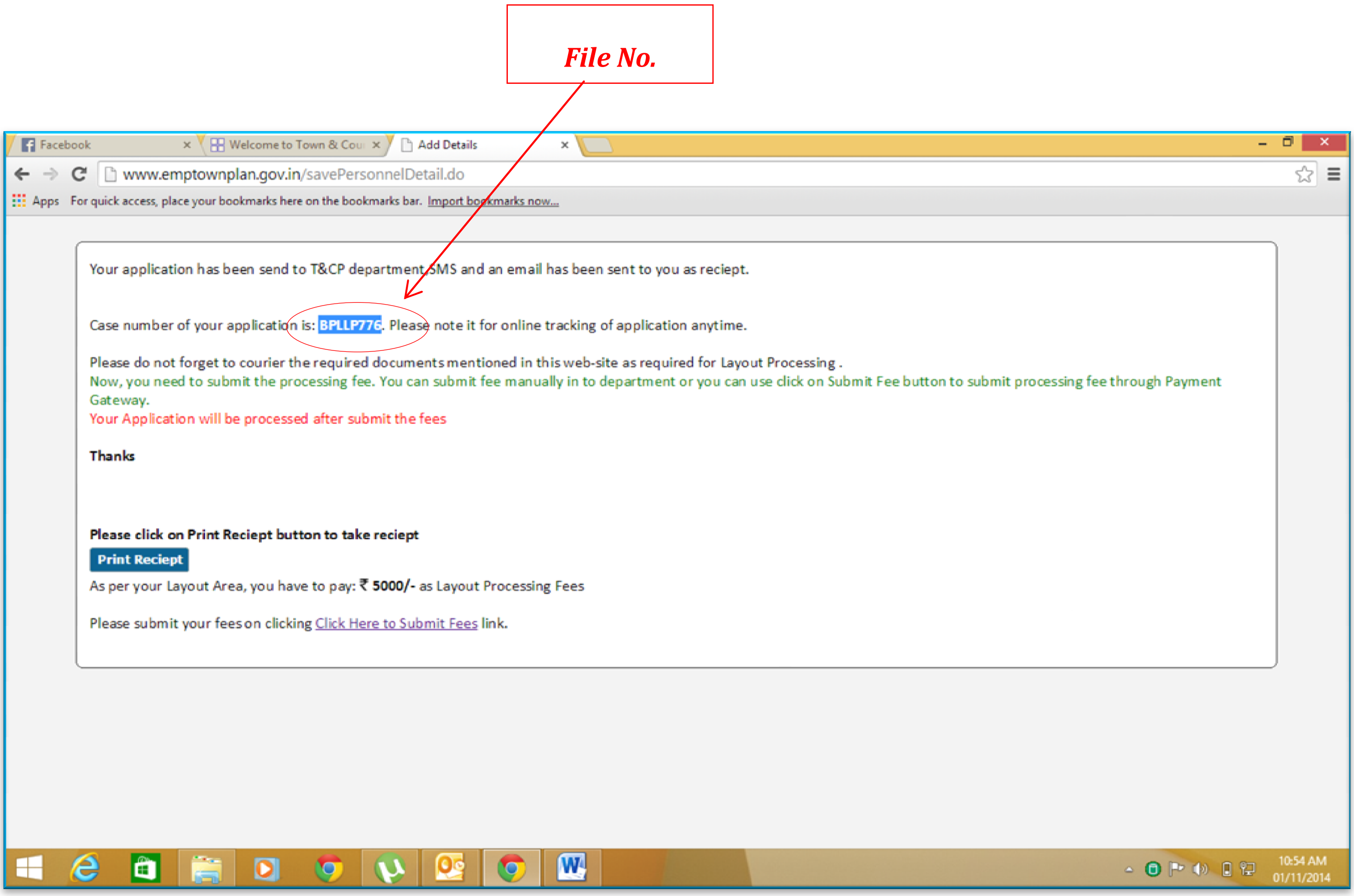

8. उपरोक्त स्क्रीन में आपके भूमि उपयोग एंव रकबा के अनुसार , आवश्यक फीस आ जायेगा जो कि जमा करना अनिवार्य होगा । फीस जमा होने के पश्चात ही आपका आवेदन स्वीकार्य होगा। अभी फीस जमा करने कि दो प्रक्रिया है , आप बैंक चालान से जमा कर सकते हैं , या फिर वेबसाइट द्वारा भी ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए उपरोक्त स्क्रीन में दिए हुए **<u>Click here to submit fees</u>** लिंक पर क्लिक करें , तथा निर्देशो का पालन करते हुए आपका आवश्यक फीस जमा करें।

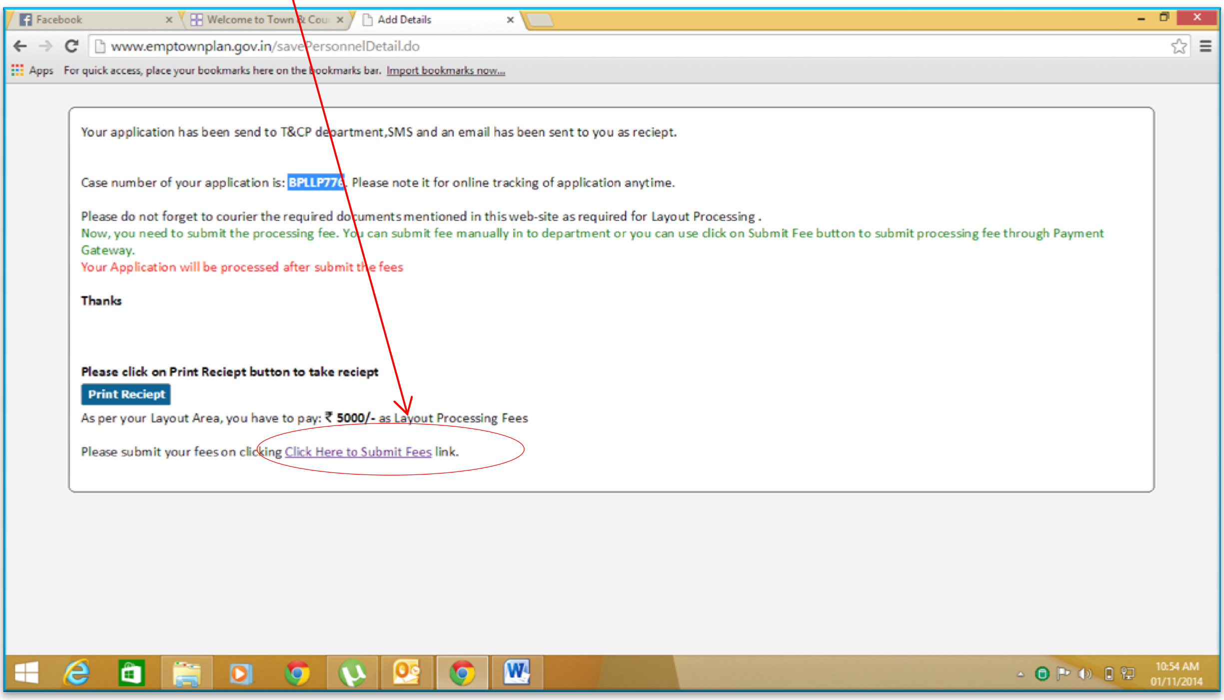

9. उपरोक्त स्क्रीन में बटन पर क्लिक करें , क्लिक करने के पश्चात आपको आपके आवेदन, जमा फीस की प्राप्ति रसीद (Receipt) प्राप्त हो जायेगा।

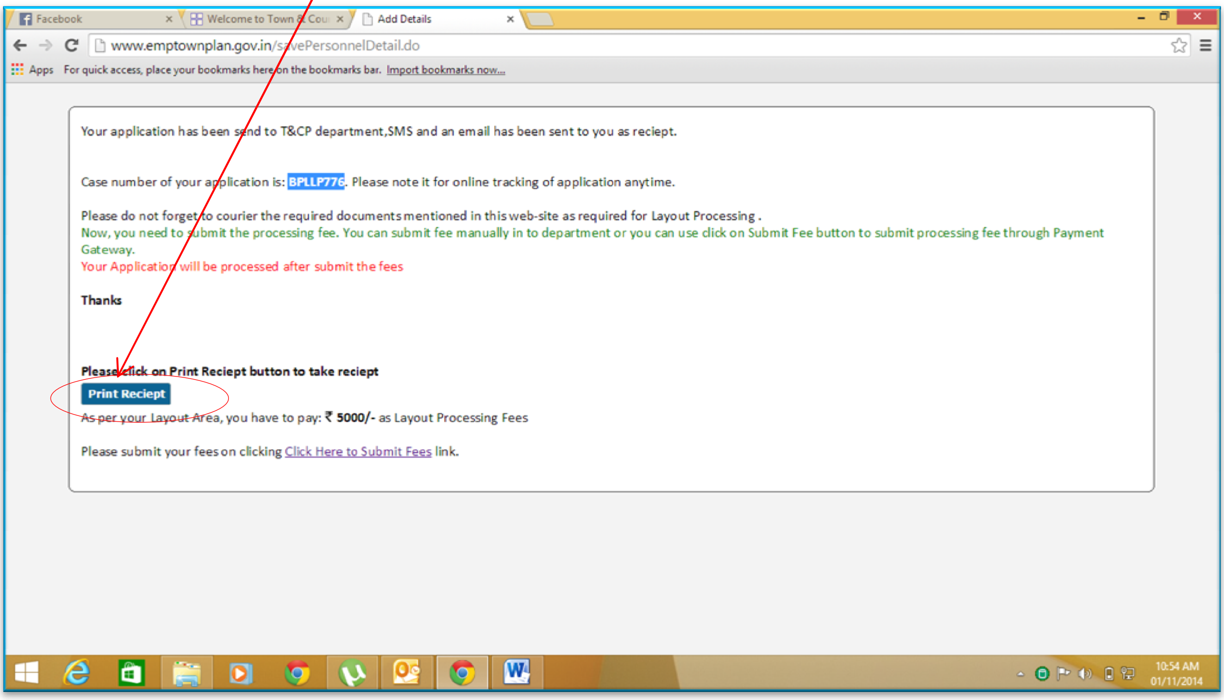

.

10. आपकी प्राप्ति रसीद निचे दिए हुए फॉर्मेट में होगी |

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल (मध्यप्रदेश)

आवक शाखा

(पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति)

आवेदक/प्रेषक का नाम/पता : राज ,`उगबमपवअब द

प्रमाण – पत्र संख्या : BPLLP270 दिनांक : 15/04/2014

ईमेल : a@a.com मोबाइल : 9990490774

विषय : धारा 29/1 के अंतर्गत विकास अनुज्ञा जारी किये जाने के संबंध में आवेदन प्राप्त किया गया है।

कार्यालयीन संपर्क दूरभाष कमांक : 0755-2427092

कृपया निम्नलिखित दस्तावेज ७ दिनों के अंदर डाक अथवा स्वम द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में जमा करें, अन्यथा आपका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है :–

भाग–1– (अधिनियम/नियम अनुसार आवश्यक)

1.1–निर्धारित प्रारूप में आवेदन (नियम 14 के परिशिष्ट क–1 के अनुसार) मय पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र ।

1.2–आवेदन शुल्क (नियम 21 (2) के अनुसार रूपये पॉच हजार प्रति हेक्टेयर या उसके अंश के लिये) ।

1.3–अद्यतित खसरा पॉचसाला पी–।। की सत्यापित मूल प्रति ।

1.4–भू स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (रजिस्ट्री) की अभिप्रमाणित छाया प्रति ।

1.5–यदि भूमि लीज की है, तो लीज डीड की अभिप्रमाणित छाया प्रति ।

1.6–खसरा अक्स मय बटांकन(प्रमाणित मूल प्रति) ।

1.7–आवेदित भूमि का विकास योजना में भूमि उपयोग (भूमि उपयोग प्रमाण पत्र) ।

1.8–यदि आप भूमि स्वामी से भिन्न हैं तो ऐसी स्थिति में भू–स्वामी की सहमति पत्र (भू स्वामी का शपथ पत्र फोटो सहित) रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटार्नी ।(नियम 16 (1)(क) अनुसार)

1.9–विकास प्राधिकरण की अनापत्ति की अभिप्रमाणित प्रति ।

1.10–नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अथवा अभिप्रमाणित प्रति ।(नियम 16 (1)(क) अनुसार)

1.11–विकास के प्रस्ताव संबंधी विस्तृत रिपोर्ट ।(नियम 16 (1)(क) अनुसार)

1.12–प्रश्नाधीन भूमि का निर्देशक रेखांक (की प्लान) नियम 16(3) अनुसार 1:10000 के मान से (अभिन्यास का भाग) ।

1.13–प्रश्नाधीन भूमि का स्थल रेखांक/साईट प्लान नियम 16 (4) (क) से (ढ) के अनुसार (10 हेक्टेयर तक 1:1000 व उस से बड़े स्थल के लिए 1:2000 के मान से) ।

1.14–सर्विस प्लान–

अ.वाटर सप्लाई प्लान नियम 16 (7) अनुरूप।

ब.सर्विस प्लान– सीवेज/सीवरेज प्लान/जल निकास नियम 16 (7) अनुरूप।

1.15–प्रश्नाधीन भूमि के अभिन्यास रेखांक (ले आऊट प्लान) नियम 16 (5)(क) से (ज) में सम्मिलित अनुसार (1:500) के मान से यदि भूमि का आकार बड़ा हो तो 1:1000 के मान से जो आवेदक तथा सक्षम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार एवं अभिप्रमाणित ।

1.16–नियम 16 (5)(ज) के अनुरूप रेन वाटर हारवेस्टिंग के उपायों की व्यवस्था ।

1.17–पार्किंग संबंधी गणना तथा पार्किंग दर्शाने वाला अभिन्यास जिसमें गाड़ियों की संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो ।

1.18–मानचित्रों एवं आवेदन में उल्लेखित दस्तावेजों की साफ्ट कापी (सी.डी.) कार्यालय द्वारा चाहे जाने वाले फार्मेट (मानचित्र डॉट डीडब्ल्यू.जी) ।

भाग–2– (संचालनालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार)

2.1–कालोनी का प्रकरण होने की स्थिति में कालोनाईजर लायसेंस कि प्रमाणित प्रति (आवश्यक नहीं यदि प्रकरण कालोनी सेल के माध्यम से प्राप्त हुआ हो तो) ।

2.2–सर्विस प्लान

अ. इलेक्ट्रिकल्स प्लान ।

2.3–यदि भूमि स्वामी एक से अधिक है एवं एक परिवार के सदस्य नहीं है तो उनके विकास के संबंध में आपसे में किये गये रजिस्टर्ड अनुबंध की प्रति ।

2.4–गूगल मानचित्र पर प्रश्नाधीन भूमि लाल रंग से अंकित कर ।

2.5–भूमि स्वामी द्वारा यदि स्थल दिखाने या प्रकरण के संबंध में निर्णय लेने हेतु किसी अन्य को प्राधिकृत किया जाता है तब प्राधिकृत व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान पत्र, हस्ताक्षर के साथ प्राधिकृत किये जाने संबंधी पत्र ।

2.6–भूमि की सीमांकन रिपोर्ट (चर्तुसीमाओं सहित) तहसीलदार द्वारा सत्यापित सीमांकन मानचित्र मय फील्डबुक, पंचनामा एवं प्रतिवेदन सहित (स्पष्ट प्रति)।

2.7–शपथ पत्र (प्रस्तावित विकास के संबंध में भूमि के विवरण जिस पर विकास कार्य किया जाना है उसका स्पष्ट विवरण जिसमें भूमि पर पूर्व में विकास न होने, पूर्व में कोई अनुमति प्राप्त न करने, भूमि के संबंध में कोई विवाद न होने तथा विकास कार्य का कियान्वयन दी गई अनुमति व शर्तो के अनुरूप किये जाने जमा राशि के संबंध में यदि कोई राशि शेष देय हो तो भुगतान की सहमति का समावेश हो) एवं परियोजना का नाम ।

टीप :– 1–नियम का आशय मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012

2– आवेदन से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, आपके द्वारा दिये गये मोबाइल तथा ईमेल पर दी जावेगी .

धन्यवाद